

विवरण



## न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. R-3492/III/2015

जिला अनूपपुर

पुनर्स्थापन-0564/2019/अनूपपुर/भू १००

ईश्वर दास

- आवेदक

श्री. वी.के. शुक्ला  
द्वारा आज दिनांक 25/4/19 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक दफा हेतु  
दिनांक 09/05/19 नियत।

बनाम

कलक ऑफ कोर्ट 25-4-19  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

शासन

- अनावेदक

म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत धारा 32 के अन्तर्गत

महोदय,

प्रार्थी के कथन निम्नानुसार हैं :-

- (1) यह कि, प्रार्थी का उपर्युक्त प्रकरण क्र. 3492/III/15 श्रीमान् जी के न्यायालय में विचाराधीन था जिसकी पेशी दिनांक 05.04.2019 नियत थी ।
- (2) यह कि, प्रार्थी उक्त दिनांक को गाँव चला गया था प्रार्थी के बाबा का स्वर्गवास हो गया था जिसकी सूचना मैं कार्यालयीन बाबू को अवगत करा गया था जिसके बाजवूद भी केश उपर्युक्त दिनांक को D.D. हो गया है ।

अस्तु निवेदन है कि प्रार्थी का प्रकरण पुनः नम्बर पर किये जाने की महान कृपा करें ।

दिनांक :- 25/4/19

द्वारा  
अधिवक्ता  
आई.पी. द्विवेदी  
व्ही.के. शुक्ला

Advocate

25/4/19

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नस्थापन-0564/2019/अनूपपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09/05/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष को रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार करते हुए मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी-3492-तीन/15 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">3/6/19</p> <p style="text-align: right;">Noted 02/06/19 MS SHUKLA</p>